International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

तीन तलाक और मुस्लिम महिलाओं की स्थिति : नारीवादी अध्ययन

Madhu Bansal[1], Dr. Mukesh Kumar Yadav[2], Dr. Rajbir Singh[3]

[1]Phd Research Scholar, Singhania University, Pacheri Beri, Jhunjhunu Rajasthan
[2]Supervisor, Singhania University, Pacheri Beri, Jhunjhunu Rajasthan
[3]Co- Supervisor, G.G.D.S.D. (P.G.) College, Palwal, Haryana

सार

मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत महिला अधिकारों से संबंधित बुनियादी मुद्दे जांच के केन्द्र में हैं।केंद्र सरकार और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप, महिला संगठनों सहित विभिन्न स्तरों पर चल रही बहस के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। कई विद्वान इस विचार का समर्थन करते हैं कि मुस्लिम व्यक्तिगत कानून महिलाओं को विशेष रूप से विवाह और विरासत के मामलों में कई अधिकार प्रदान करते है। दूसरी ओर, अनेक विद्वानों का मत है कि इसके अंतर्गत कई ऐसी प्रथाएँ प्रचलित हैं जो नागरिकों को दिए गए संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध हैं।यद्यपि भारत का संविधान नागरिकों को सभी प्रकार के भेदभाव से मुक्ति, समानता और स्वतंत्रता प्रदान करता है तथापि मुस्लिम समाज में अनेक प्रथाएँप्रचलित हैजिनके कारण मुस्लिम महिलाओं को मौखिक एवं एकतरफा तलाक, बहुविवाह, निकाह–हलाला और एक बैठक में तीन तलाक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रस्तुत शोध–पत्र मुस्लिम महिलाओं की स्थिति पर तीन तलाक–प्रथा के प्रभाव का अध्ययन नारीवादी परिप्रेक्ष्य में करता है।

शब्द कुंजीः–पितृसता, इंटरसेक्शनल नारीवाद, मुस्लिम व्यक्तिगत कानून, तीन तलाक–प्रथा

प्रस्तावना

विश्व के अधिकांश देश महिलाओं को समान अधिकार देते है परन्तु व्यवहार में उनके साथ हर स्तर पर भेदभाव होता है। समाज की आधारभूत सरंचना में ही महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव निहित है। धर्म सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सम्बन्ध है। लेकिन समाज और धर्म का सम्बन्ध सदैव द्वन्द्वात्मक रहा है। समय के साथ सामाजिक सम्बन्धों में निजी सम्पति और पुरुष– वर्चस्व वाली व्यवस्था स्थापित हुई, इसके साथ ही समाज में धर्म की जड़ें भी गहरी होती चली गयी। **गोपा जोशी** धर्म और पितृसत्ता के मध्य सम्बन्ध को रेखांकित करते हुए कहती है कि ''सदियों से पितृसत्ताऔर धर्मसत्ता एक–दूसरे के पूरक रहे है।''[1]**तान्या मोहंती** विश्व के प्रमुख धर्मों ईसाई, इस्लाम, हिन्दू, सिख और बौद्ध में महिलाओं के स्थिति का विश्लेषण करते हुए कहती है कि ''सभी धर्मो में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम महत्व दिया गया और यह माना गया कि उन्हें पुरुष की हर आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस तरह प्रत्येक धर्म पितृसत्तावादी समाज का समर्थन करता है।''[2]**सेल्विया वाल्बी** ''पितृसत्तामक सत्ता को सामाजिक संरचना एवं व्यवहार की एक ऐसी व्यवस्था के रुप में देखती है जिसमें पुरुष स्त्रियों के ऊपर शासन, दमन और

[1]गोपा जोशी (2015). भारत में स्त्री असमानता. दिल्ली : हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय. पृ– 35.
[2]तान्या मोहन्ती(2008). ''जेण्डर संस्कृति एवं इतिहास''. मानवाधिकार जेंडर एवं पर्यावरण. तपन बिस्वाल(सम्पा).नई दिल्ली : वीवा बुक्स प्रा लि. पृ 229–233.

शोषण करते है।''[3] पितृसत्तामक समाज स्त्रियों की गरिमा और प्रतिष्ठा की अवहेलना करता है और महिला अधिकारों की उपेक्षा करता है। **सांगरी और वैद** का मानना है कि ''पितृसत्ता निरंतर पुर्नरचित हो रही है। ऐसे में स्त्री विरोधी आचार– विचार को सामंती अवशेष मानकर चलना और वक्त के साथ इसके स्वतः मिट जाने की आशा रखना उचित नहीं है।[4]''

महिला के प्रति किया जाने वाला भेदभाव विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे– वर्ग स्थिति, साक्षरता का स्तर, रोजगार की स्थिति, वैवाहिक–स्थिति और सम्बंधित धार्मिक– समुदाय। पूर्व में किये गए अध्ययनों के सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि भारत में मुस्लिम महिलाएँ अनेक समस्याओं का सामना करती है, जिनमें ''अशिक्षा, सामाजिक जागरूकता का अभाव, असुरक्षा की भावना, पर्दा प्रथा, बीमारी व अस्वस्थता, धार्मिक कट्टरपन''[5], ''बाल– विवाह, दहेज– प्रथा, आर्थिक पराधीनता''[6], ''बहु विवाह, तलाक के बाद भरण पोषण''[7], ''तीन तलाक, निकाह– हलाला''[8] प्रमुख है। इन समस्याओं में तीन तलाक की समस्या महिला की वैवाहिक स्थिति तथा धार्मिक समुदाय से सम्बंधित समस्या है। अनेक विद्वानों का मत है कि तीन तलाक प्रथा जो मुस्लिम समुदाय में धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप से प्रचलित है, मुस्लिम महिलाओं के जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करती है।

भारत में प्रत्येक धार्मिक समुदाय अपने व्यक्तिगत कानूनों से शासित होता है। परंतु अनेक ऐसे धार्मिक–कानून, धार्मिक–रीतियाँ और परंपराएँहैं जिनके कारण समाज में महिलाओं की स्थिति निम्न हो जाती है। इस्लाम में सिद्धांततः महिलाओं को पुरुषों के समान की अधिकार दिए गए है। लेकिन कालांतर में मुस्लिम समाज में भी पितृसत्तावादी प्रवृतियों ने गहरी जड़ें जमा लीं। पितृसत्तात्मक समाज में परिवार एवं बालकों की देखभाल का संपूर्ण उत्तरदायित्व महिलाओं का होता है। ''अतः महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव का न केवल उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है बल्कि यह भावी पीढ़ी को भी प्रभावित करता है। महिला की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का बच्चें के अस्तित्व और उसके विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है।''[9]

महिला की स्थिति पर व्यक्तिगत कानूनों का प्रभाव

भारत प्रचलित व्यक्तिगत कानूनराजनीतिक, सामाजिक एवम् आर्थिक विकास में महिला की भागीदारी को प्रभावित करते है। महिला की स्थिति पर इन कानूनों के प्रभाव को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है:–

1. घर की चारदीवारी के अन्दर महिला के कार्यो और दायित्व व अधिकार के रूप में महिला की स्थिति को प्रभावित करते है,
2. पारिवारिक–सम्बन्धों के नियामक के रूप में महिला की स्थिति को प्रभावित करते है,
3. व्यक्तिगत कानून के अनुसार ही सम्पति, विरासत, अभिभावकता, गोद लेने से सम्बन्धित नियमों का निर्धारण किया जाता है,

[3]तपन बिस्वाल(2008).(सम्पा)मानवाधिकार जेंडर एवं पर्यावरण. दिल्लीः वीवा बुक्स प्रा लि., पृ 223.
[4]उमा चक्रवर्ती और साधना आर्य (2021).(सम्पा) स्त्री अध्ययन–एक परिचय. नई दिल्ली : वाणी प्रकाशन. पृ 30–31.
[5]सुधा सिंह (2019). ''मुस्लिम महिला एंव मानवाधिकार के सवाल : एक विश्लेषण''. रिसर्च रिव्यू. 16 सितम्बर.
[6]शाइस्ता परवीन (2019). ''मुस्लिम महिलाओं के समक्ष सामाजिक चुनौतियाँः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन''. कांफ्रेंस पेपर.
[7]शबनम बानो (2018). ''भारत की आधी आबादी के सामाजिक आर्थिक स्थिति पर विवेचनात्मक विश्लेषण''. इण्डियन जर्नल ऑफ रिसर्च. 7(9).
[8]अनीता यादव (2015). ''राइट्स ऑफ मुस्लिम वूमेनः एन एनालिसिस ऑफ इण्डियन मुस्लिम पर्सनल लॉ''. फरवरी. researchgate.net पर उपलब्ध.
[9]https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Women-Children_final.pdfviewed on 19.8.2017

4. व्यक्तिगत कानून विवाह एवं तलाक के सम्बन्ध में भी महिला स्थिति को प्रभावित करते है।

स्पष्ट है कि व्यक्तिगत कानून से संचालित होने के कारण भारत में विभिन्न समुदायों सेसम्बंध रखने वाली महिलाओं की पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भिन्नता है। यह भिन्नता निर्भर करती है कि महिला किस समुदाय विशेष के व्यक्तिगत कानून से शासित होती है। यदि विभिन्न समुदायों में वैध तथा मान्य तलाक की वैधानिक प्रक्रिया तथा परम्परागत प्रथाओं का अध्ययन किया जाए तो यह ज्ञात होता है कि मुस्लिम समाज में प्रचलित तीन तलाक की प्रथा सबसे अधिक महिला–विरोधी प्रथा है जो मुस्लिम महिला की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

पैगम्बर मुहम्मद ने इस्लाम की स्थापना के साथ ही पूर्व इस्लामिक काल की अनेक कुरीतियों का उन्मूलन किया और उनमें संशोधन किया। इस्लाम ने महिलाओं को विवाह एवं तलाक से सम्बंधित अधिकार देकर उनकी पारिवारिक स्थिति को मजबूत किया और सामाजिक स्तर उन्हें प्रतिष्ठा प्रदान की। लेकिन समय के साथ इस्लाम धर्म पर पुरुषवादी मानसिकता हावी हो गई। इसने कुरान के महिला–अधिकार समर्थित प्रावधानों का उल्लंघन किया और हदिथों के आधार पर तलाक के आसान एवं त्वरित रूप का आविष्कार किया जो तीन तलाक प्रथा के रूप में आज भी भारतीय समाज में प्रचलित है। तलाक का यह अन्यायपूर्ण तरीका महिला हितों के विरुद्ध है जिसमें तलाक शब्द को एक ही समय में तीन बार उच्चारित करने पर विवाह–सम्बन्ध सदैव के लिए समाप्त हो जाता है और पत्नी को तुरंत पति का घर छोड़ना पड़ता है। कुछ न्यायविदों के अनुसार तीन तलाक के बाद पत्नी भरण–पोषण या क्षतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकती।

ताहिर महमूद पुस्तक मुस्लिम लॉ इन इंडिया एंड अब्रॉड में लिखते है कि ''कुरान में ऐसी कोई आयत नहीं जिससे यह सिद्ध हो सकें कि तीन तलाक स्वीकार्य है। दूसरे खलीफा उमर ने कुछ बीवियों के आग्रह पर तीन तलाक को प्रभावी करार दिया। साथ ही शौहर को दंडस्वरूप कोड़े लगाने की भी व्यवस्था की। परन्तु उनकी इस कार्यवाही को प्रत्येक मामले में बंधनकारी नजीर के रूप में पेश किया गया। तथ्य यह है कि तीन तलाक का उदय दूसरी इस्लामी सदी में दम्पत्तियों के अलग होने के रूप में तब हुआ जब उमय्यद शासकों ने पैगम्बर के फैसले के ऊपर खलीफा उमर के आदेश को तरजीह दी क्योंकि पैगम्बर का फैसला मामलों के तुरंत निपटारे की उनकी जरूरत में हस्तक्षेप करता था।''[10] ''महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करने को न्यायोचित ठहराने के लिए रूढिगत निर्देश को एक दलील के रूप में पेश करना एक बेतुका छलपूर्ण तर्क है जो सामान्य बुद्धि को अपमानित करता है।''[11]

इस्लाम में महिलाओं को पुरूषों के समान ही तलाक का अधिकार है। महिला भी खुला लेकर अपने पति से अलग हो सकती है लेकिन खुला की प्रक्रिया बहुत जटिल है। इस कारण अधिकतर महिलाएँ खुला नहीं ले पाती। दूसरी तरफ मुस्लिम समाज में प्रचलित तीन तलाक की प्रथा का मुस्लिम पुरुष दुरुपयोग करते है। ''पुरुष गुस्से में है या अपनी अवज्ञा करने के कारण ही पत्नी को तलाक दे देते है। एक बार तीन तलाक देने पर यह मान्य हो

[10]जियाउस्सलाम(2018). तीन तलाक तलाक तीन तलाक एवम् खुला को जानें और समझें, दिल्ली : प्रभात प्रकाशन.
[11]मीनाक्षी (2009). स्त्री अधिकारों का औचित्य. नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन. पृ 33.

जाता है। पत्नी पति के खिलाफ कानूनी मदद भी नहीं ले सकती। कुरान तलाक के संबंध में मध्यस्थता की वकालत करता है। लेकिन पुरुष प्रधान व्यवस्था के प्रभाव के कारण तलाक के मध्यस्थता के नियम स्त्रियों के हितों की रक्षा नहीं करते। इस तरह तलाक की स्थिति में स्त्रियां पुरुषों की दया पर निर्भर हो जाती है। भारत में मुस्लिमों के बीच अधिकांश तलाक इसी तरह होते है।''[12]

मुस्लिम महिलाएँ जब भी इस प्रथा में परिवर्तन की मांग करती है तो उन्हें मजहब और कुरान का हवाला देकर चुप करा दिया जाता है। 1986 का शाहबानो–विवाद इसका उदाहरण है। ''शाहबानो विवाद में मुस्लिम नेताओं ने मुस्लिम महिलाओं को इस्लामी पहचान से जोड़कर यह तर्क दिया कि अदालत का निर्णय मुस्लिम पर्सनल लॉ के विरुद्ध है और इसलिए यह मुस्लिम समुदाय की पहचान को भी नजरअंदाज करता है। लेकिन महिला समूहों ने महिलाओं की पहचान को संकीर्ण धार्मिक दायरे में परिभाषित करने पर एतराज उठाया कि यह मुस्लिम महिलाओं को अन्य महिलाओं से अलग इकाई के रूप में रखता है तथा सामुदायिक हितों को अधिक महत्व देता है।''[13] राजनितिक व्यवस्था भी मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति का अनुसरण करती है और महिला–हितों की उपेक्षा कर देती है। शाहबानो–विवाद में सरकार ने मुस्लिम कटटरपंथिओं के समक्ष झुकते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटकर 1986 का 'मुस्लिम महिला तलाक सरंक्षण अधिनियम 1986' पारित किया। यह अधिनियम मुस्लिम महिलाओं को 90 दिन की अवधि तक गुजारा–भत्ता देने का प्रावधान करता है। पुरुष केवल दो वर्ष तक के बच्चे का भरण–पोषण करने के लिए उत्तरदायी है। इसके बाद बच्चे के भरण पोषण हेतु पूर्व पति से आर्थिक सहायता पाने के लिए महिला को पुनः सिविल कोर्ट में वाद दायर करना होगा। इस प्रकार ''यह अधिनियम बच्चे के अपने पिता द्वारा सरंक्षित होने के कानूनी अधिकार की उपेक्षा करता है और एक निश्चित अवधि के पश्चात् पिता को बच्चे के उत्तरदायित्व से मुक्त कर देता है।''[14]

1990 के दशक के बाद भारतीय मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन आए और वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई। ''1990 के दशक में आरम्भ हुए आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आया। उन्हें विशेषतः औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर मिले है। आर्थिक रूप से सक्षम होने के कारण अब महिला घरेलू हिंसा या किसी भी तरह का भेदभाव सहने को तैयार नहीं है। इससे एकल परिवारों में भी वृद्धि हुई है।''[15]**मौलाना वाहीउद्दीन खान** का भी कहना है कि ''इस्लाम लिंग के आधार पर स्त्री पुरुष के बीच श्रम–विभाजन करता है। परन्तु औद्योगिकरण के बाद महिलाओं को भी आजीविका के अवसर आसानी से उपलब्ध होने लगे। अतः उसने पुरुषों के सरंक्षण में रहना अस्वीकार करना आरम्भ कर दिया। परिणामस्वरुप समाज में समस्याएँउत्पन्न होने लगीऔर तलाक के मामलों में भी वृद्धि होने लगी।''[16] इससे महिलाओं की परम्परागत–स्थिति एवं पारस्परिक–सम्बन्धों में भी परिवर्तन हुआ और आर्थिक व सामाजिक तनावों में भी वृद्धि हुई। इन तनावों से

[12]इंजीनियर ,असगर अली(2008). द राइट्स ऑफ वीमेन इन इस्लाम. दिल्लीः स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्रा. लि. पृ 150–151.
[13]जोया हसन और ऋतु मेनन(2009). 'मुस्लिम महिलाओं की पहचान'. हम सबला. मई–जून. पृ 4.
[14]डॉ नूरजहां और जाकिया सोमन(2015).'Seeking Justice within Family' A National Study on Muslim woman's view on Reform in Muslim Personal Law. Published by Bhartiya Muslim Mahila Andolan. March.
[15] जिनी लोकनिता(2009). ''उदारीकरण का महिलाओं पर प्रभाव''. साधना आर्य आदि (सम्पा). नारीवादी राजनीती : संघर्ष एवं मुद्दे. दिल्ली : हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय :दिल्ली विश्वविद्यालय. पृ 222–234.
[16]मौलाना वाहीउद्दीन खान (2009), वीमेन इन इस्लामिक शरीया. प्रथम संस्करण. नई दिल्ली : द इस्लामिक सेंटर.

मुस्लिम परिवार भी अछूते नहीं रहें। वैश्वीकरण के बाद मुस्लिम समाज में स्त्री संक्रमणकालीन दौर से गुजर रही है। मुस्लिम महिलासांस्कृतिक और धार्मिक दवाबों का सामना कर रही है तो वह अपने अधिकारों के प्रति अधिक सचेत भी हुई है।

नए दौर की मुस्लिम महिलाएँ धार्मिक नियमों को अपने हितों के अनुरूप परिवर्तित करवाना चाहती है। मुस्लिम महिलाओं की समस्या तलाक नहीं है बल्कि धार्मिक नियमों की आड़ में तीन तलाक के रूप में महिलाओं का उत्पीडन और उनके आर्थिक अधिकारों का हनन है। तीन तलाक के कारण दमित–उत्पीड़ित शोषित स्त्री के लिए समस्या तलाक के बाद स्वयं तथा अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना चुनौती है।

प्रस्तावित शोध का उद्देश्य

इस अध्ययन से सम्बंधित निम्न उद्देश्य निर्धारित किए गए हैः–

1. परीक्षण करना कि इस्लामी शरीयत के अनुसार प्रचलित तीन–तलाक प्रथा मुस्लिम महिलाओं के इस्लामिक और नागरिक–अधिकारों का हनन करती है।
2. मुस्लिम महिलाओं की स्थिति पर तीन–तलाक प्रथा के प्रभाव का विश्लेषण करना।
3. मुस्लिम महिलाओं के इस्लामिक और नागरिक अधिकारों को सुनिश्चित करने में राज्य की भूमिका का परीक्षण करना।
4. मुस्लिम महिलाओं के इस्लामिक और नागरिक अधिकारों को सुनिश्चित करने में नागरिक –समाज की भूमिका का परीक्षण करना।

प्राक्कल्पना

शोध के लिए निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित प्राक्कल्पनाओं का निर्माण किया गया हैः–

1. तीन–तलाक व्यवस्था मुस्लिम महिलाओं के इस्लामिक और नागरिक अधिकारों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।
2. तीन तलाक प्रथा मुस्लिम महिलाओं की स्थिति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।
3. मुस्लिम महिलाओं के इस्लामिक और नागरिक अधिकारों को सुनिश्चित करने में राज्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
4. मुस्लिम महिलाओं के इस्लामिक और नागरिक अधिकारों को सुनिश्चित करने में नागरिक–समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सैद्धांतिक रूपरेखाः

अंतरानुभागीय नारीवादी सिद्धांत केवल महिला–पुरुष की समानता की बात नहीं करता बल्कि हाशिए पर रहने वाले समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अधिकार देने का समर्थन करता है। **1989 में प्रो. किम्बरले क्रेशॉ** ने इंटरसेक्शनल नारीवाद शब्द का प्रयोग किया। उनकी मान्यता थी कि प्रत्येक महिला समान भेदभाव का सामना करती है परन्तु इस भेदभाव का आधार अलग होता है। श्वेत और अश्वेत दोनों ही महिला के रूप में भेदभाव सहन करती है। परन्तु अश्वेत महिलाओं का रंग के आधार पर भी शोषण एवं दमन होता है। क्रेन्शॉ का दावा है कि

अंतरानुभागीय दृष्टिकोण से अश्वेत महिलाओं के अनुभवों को समझा जा सकता है और नस्ल और लिंग की परस्पर– क्रिया पर प्रकाश डाला जा सकता है। नारीवाद के इंटरसेक्शनल सिद्धांत में अल्पसंख्यक, गरीब, आदिवासी और धर्म जैसे पक्षों को सम्मिलित किया गया है जिनके आधार पर महिलाओं को दमन और शोषण का सामना करना पड़ता है।

भारत में इंटरसेक्शनल नारीवाद समाज की सभी महिलाओं के अतिरिक्त उन महिलाओं के मुद्दों को भी रेखांकित करता है जो हाशिए पर जीवनयापन करने के लिए मजबूर है। इस सिद्धांत के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार सामाजिक ढांचे में महिलाओं के साथ विभिन्न आधारों पर भेदभाव किया जाता है। जाति, धर्म, वर्ग, यौनिकता, विकलांगता आदि के आधार पर व्यक्ति स्वयं को महिला और अन्य अल्पसंख्यक, पिछड़े, शोषित वर्ग के रूप में परिभाषित करता है। नारीवाद इन्हीं आधारों का विश्लेषण करता है कि ये आधार एक–दूसरे से जुड़कर दमन को प्रभावित करने और उन्हें बनाए रखने में सहायक होते है क्योंकि उनमें एक भी कारक स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करता। भारत में भेदभाव और असमानता को पहचान की एक धुरी पर केंद्रित करके नहीं समझा जा सकता है, चाहे वह जाति, लिंग, लिंग –पहचान, विकलांगता, धर्म या कोई अन्य श्रेणी हो। इंटरसेक्शनल दृष्टि से इसकी जांच और खोज की जानी चाहिए, जहाँलोगों की कई अलग–अलग पहचान आपस में टकराती हैं। हमें यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि भारतीय संदर्भ में धर्म और लिंग एक साथ जुड़े हुए है इसलिए लैंगिक न्याय के साथ किसी भी जुड़ाव में धार्मिक पहचान के साथ जुड़ाव भी अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए।

''भारत में लगभग नब्बे प्रतिशत भारतीय मुसलमान सुन्नी संप्रदाय की हनफी शाखा का अनुसरण करते है, शेष 10 प्रतिशत में शिया, मालिकी, शफी और अहले–हदीस शामिल हैं। शिया और मालिकी तीन तलाक की प्रथा को मान्यता नहीं देते। शाफई तीन तलाक के मुद्दे पर हनफी के रुख का समर्थन करते हैं कि एक समय पर तीन बार बोला गया तलाक तुरंत प्रभावी तलाक हो जाता है और इसके परिणामस्वरूप विवाह तुरंत समाप्त हो जाता है। लेकिन सुन्नी संप्रदाय की ही अहले–हदीस शाखा तीन तलाक की इस प्रथा का समर्थन नहीं करती।''[17] अतः यह स्पष्ट है कि मुस्लिम समाज के हनफी मसलक में तीन तलाक की प्रथा मान्य व वैध है और इस मसलक की महिलाएँएक बैठक में तीन बार तलाक की प्रथा के कारण शोषण एवम् दमन का सामना करती है। इस प्रकार मुस्लिम महिलाएँधर्म, महिला और सम्प्रदाय–विशेष से सम्बद्ध रखने के कारण तिहरे शोषण का सामना करती है।

शोध प्रविधिएवम् उपकरण

प्रस्तुत शोध में मुस्लिम महिलाओं पर तीन तलाक प्रथा के प्रभाव का अध्ययन नारीवादी अंतरानुभागीय उपागम से किया है। अध्ययन के लिए प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु राजधानी दिल्ली के पश्चिम जिला से उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति से तीन तलाक से पीडित दस मुस्लिम महिलाओं का चयन कियाहै। तथ्यों के संकलन के लिए वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के अंर्तगत साक्षात्कार एवम् अवलोकन विधि का प्रयोग किया है। स्वनिर्मित

[17] https://www.newslaundry.com/2017/04/26/triple-talaq-is-not-a-multiple-choice-question viwed on 12.8.21

प्रश्नावलीके माध्यम से साक्षात्कारऔरवार्तालाप द्वारा तथ्यों को एकत्रित कियाहै। शोधकत्री ने समस्या का विश्लेषण एवम् व्याख्या प्रतिशतीय विश्लेषण माध्यम से किया है।

संकलित तथ्यों का विश्लेषण एवम् व्याख्या

साक्षात्कारदात्ताओं से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषणः

1. साठ प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं का विवाह बीस वर्ष की आयु पूरी करने तक हो जाता है।
2. तीस प्रतिशत मुस्लिम महिलाएँबाहरवीं कक्षा तक शिक्षा पूरी कर पाती है जबकि पचास प्रतिशत महिलाएँ दसवीं कक्षा तक ही पढाई पूरी कर पाती है।
3. पचास प्रतिशत तलाकशुदा महिलाओं का तलाक विवाह के तीन से पांच वर्ष के बीच हो गया।
4. पारिवारिक–झगड़े तथा दहेज की मांग तीन तलाक के प्रमुख कारण है।
5. सत्तर प्रतिशत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को मौखिक रूप से उनकी उपस्थिति, अनुपस्थिति और फोन पर एक बैठक में तलाक दिया जाता है।
6. तीस प्रतिशत महिलाओं को कुरियर अथवा पोस्ट के माध्यम से लिखित तलाकनामा मिला।
7. शत–प्रतिशत साक्षात्कारदात्ता महिलाओं का कहना था कि पति द्वारा एक बैठक में तीन बार तलाक बोले जाने के बाद उन्हें तुरंत पति का छोडना पडता है और पूर्व पति से इद्दत का खर्च नहीं मिलता।
8. साठ प्रतिशत महिलाओं को उनका मेहर वापस नहीं मिलता।शरीयत कोर्ट के हस्तक्षेप के बादकेवल दस प्रतिशत महिलाओं को ही मेहर की पूरी रकम वापस मिल पाती है।
9. पंचायत या शरीयत कोर्ट के निर्देश के बावजूद पुरूष महिला को इद्दत के खर्च का भुगतान और मेहर वापस नहीं करते।
10. अस्सी प्रतिशत महिलाओं का विभिन्न कारणों से पुर्नविवाह नहीं हो पाता।
11. साठ प्रतिशत महिलाएँ अपने व बच्चों के जीवन निर्वाह के लिए मायके या रिश्तेदारों पर निर्भर हो जाती है।
12. अध्ययन के दौरान यह तथ्य सामने आया कि भारतीय मुस्लिम समुदाय में विवाह के समय लड़कियों को दहेज देने का विस्तृत प्रचलन है।
13. तीस प्रतिशत तीन तलाक पीडिताओं के समक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निकाह–हलाला का प्रस्ताव रखा गया।

निष्कर्ष–

1. मुस्लिम महिलाओं का विवाह कम आयु में कर दिया जाता है और उनका शैक्षिक स्तर भी कम है।
2. अधिकांश मामलों में तलाक का कारण पारिवारिक– विवाद और दहेज की मांग पाया गया।
3. महिला को तीन तलाक उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति में दिया गया। तलाक देने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग किया गया जैसेः– मौखिक तलाक, पोस्ट, फोन आदि।
4. तलाक के बाद पुरूष द्वारा मेहर की वापसी तथा इद्दत के खर्च के भुगतान की जिम्मेदारी पूरी नहीं की जाती।

5. यह पाया गया कि एक बैठक में तीन तलाक की प्रथा कुरान के तलाक से सम्बन्धित निर्देशों का उल्लंघन करती है।
6. तलाक के बाद अधिकांश महिलाएँ अपने माता–पिता के घर लौट आती है और जीवनयापन के लिए उन पर निर्भर हो जाती है।
7. यह पाया गया कि अधिकांश महिलाओं का पुर्नविवाह हो पाता।
8. महिलाओं पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निकाह–हलाला का दवाब डाला जाता है।
9. यह पाया गया कि महिलाओं को तलाक से सम्बन्धित कुरानिक नियमों की सही जानकारी नहीं है।महिलाएँ अनभिज्ञ थी कि अन्य इस्लामिक देशों में तीन तलाक प्रतिबंधित है।
10. यह पाया गया कि तलाक के बाद स्थानीय पंचायत तथा शरई अदालत द्वारा बच्चों की अभिभावकता, इद्दत के खर्च और मेहर की अदायगी के सम्बन्ध में दिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन नहीं हो पाता।
11. उचित कानून के अभाव में, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामलों में मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता।
12- यद्यपि महिलाओं ने तलाक के संदर्भ में शरीयत का अनुसरण की वकालत की तथापि तीन तलाक कानून के अंर्तगत एक बैठक में तीन तलाक देने वाले पुरूष को सजा के देने के प्रावधान का समर्थन किया।